विक्रय और विक्रय के करार में अन्तर (Distinguish between a Sale and Agreement to Sale) —

जब किसी विक्रय की संविदा में माल में निहित सम्पत्ति का हस्तान्तरण विक्रेता से क्रेता को हो जाता है तो उस संव्यवहार को हम विक्रय कहते हैं, लेकिन जब माल में निहित सम्पत्ति का हस्तान्तरण भविष्य में किसी तारीख पर किया जाना हो तो इसे विक्रय के लिए करार कहते हैं। इस प्रकार विक्रय में माल का स्वामित्व क्रेता को तुरन्त मिलजाता है जबकि विक्रय के करार में माल का स्वामित्व क्रेता को किसी शर्त या अवधि के पूरा हो जाने पर मिलता है।

उपरोक्त आधार पर विक्रय तथा विक्रय के करार में निम्नलिखित अन्तर हैं —

(1) विक्रय में सम्पत्ति का हस्तान्तरण विक्रेता से क्रेता को तुरन्त हो जाता है, परन्तु विक्रय के करार में सम्पत्ति का हस्तान्तरण तुरन्त न होकर भविष्य में किसी तारीख पर होता है या किन्हीं शर्तों के अधीन या उन शर्तों को पूरा किया जाने पर होता है।

(2) 'विक्रय' एक निष्पादित (executive) संविदा होती है। इसमें संविदा तथा अभिहस्तान्तरण दोनों तत्व विद्यमान होते हैं। विक्रय की हालत में निहित सम्पत्ति विक्रेता के हाथ से तुरन्त चली जाती है और यदि एक बार माल विक्रेता ने बेच दिया हो, तब उसके खिलाफ दी गई किसी डिक्री के निष्पादन में वे माल कुर्क या बेचे नहीं जा सकते हैं। जबकि 'विक्रय का करार' एक

निष्पादनीय (Executory) संविदा है। इसमें प्रवहन का अभाव होता है अर्थात सम्पत्ति तुरन्त हस्तान्तरित नहीं होती है और विक्रेता के खिलाफ किसी वाद में यदि डिक्री पारित हो जाती है तो ऐसे माल को कुर्क या बेचा जासकता है।

(3)- 'विक्रय' में क्रेता को 'वास्तविक अधिकार' (Right in Rem) प्राप्त होता है अर्थात विक्रय में क्रेता माल का तुरन्त स्वामी बन जाता है और क्रेता के स्वामित्व के इस अधिकार को सम्पूर्ण संसार द्वारा मान्यता दी जाती है। लेकिन विक्रय के करार में क्रेता को केवल व्यक्तिगत अधिकार (Right in Personam) प्राप्त होता है इसमें यदि संविदा भंग हो जाती है तो पक्षकार एक दूसरे की सम्पत्ति के विरुद्ध उपाय नहीं ले सकते हैं। माल में हानि की दशा में विक्रेता जिम्मेदार होगा।

(4)- विक्रय की स्थिति में यदि क्रेता मूल्य या कीमत नहीं देता है तो विक्रेता कीमत वसूलने करने के लिए क्रेता के विरुद्ध वाद दायर कर सकता है परन्तु विक्रय के करार की दशा में क्रेता द्वारा माल लेने से इन्कार करने और कीमत न देने की स्थिति में विक्रेता, क्रेता के विरुद्ध संविदा भंग के लिए प्रतिकर वसूलने के लिए तो वाद ला सकता है लेकिन वसूल करने के लिए उसके विरुद्ध वाद नहीं ला सकता है। [U/Sec. 55 & 56]

(5)- विक्रय की स्थिति में क्रेता माल का स्वामी हो जाता है और यदि विक्रेता द्वारा क्रेता को माल का कब्जा नहीं दिया जाता है तो क्रेता, विक्रेता के विरुद्ध कब्जा प्राप्त करने हेतु वाद ला सकता है। जबकि विक्रय के करार में विक्रेता द्वारा क्रेता को

माल न देने की दशा में क्रेता, विक्रेता के विरुद्ध क्षतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु वाद नहीं ला सकता है।

(6)- Sec. 26 के अनुसार चूँकि विक्रय में माल तुरन्त क्रेता के पास चला जाता है अतः यदि माल चोरी हो जाता है या नष्ट हो जाता है तो जोखिम क्रेता के ऊपर होता है अर्थात हानि क्रेता को उठानी पड़ेगी। परन्तु विक्रय के लिए करार में चूँकि माल का हस्तान्तरण किसी भावी तारीख को किया जाना होता है और अगर इस बीच माल नष्ट हो जाता है या चोरी हो जाता तो इसका नुकसान विक्रेता को उठाना पड़ेगा।

(7)- विक्रय की दशा में यदि विक्रेता माल को क्रेता को न देकर किसी पर व्यक्ति को बेच देता है तो क्रेता, विक्रेता के विरुद्ध संपरिवर्तन के अपहरण के लिए वाद ला सकता है और सामान्य नियम के रूप में उस पर व्यक्ति से माल वसूल कर सकता है। इस सामान्य नियम का अपवाद Sec. 30 में मिलता है। जबकि विक्रय के करार की दशा में यदि वह माल विक्रेता किसी पर व्यक्ति को बेच देता है तो क्रेता विक्रेता के विरुद्ध संपरिवर्तन के अपहरण के लिए वाद नहीं ला सकता है और न ही उस व्यक्ति से माल वसूल कर सकता है। वह केवल संविदा भंग के प्रतिकर के लिए विक्रेता के विरुद्ध वाद ला सकता है।